प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 26.08.2023

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

जिलाधिकारी महोदय खीरी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी की अध्यक्षता में “थाना समाधान दिवस” का आयोजन

आज दिनांक 26.08.2023 को माह के चतुर्थ शनिवार को जनपद के प्रत्येक थाना स्तर पर “थाना समाधान दिवस” का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी महोदय खीरी, श्री महेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना खीरी पर उपस्थित रहकर "थाना समाधान दिवस" की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जनशिकायतों की निष्पक्ष जाँच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। थाना समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्चाधिकारी स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर सम्बंधित अधिकारी को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल के थानों पर उपस्थित रहकर जनशिकायतों का निस्तारण कराया गया।

<u>थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, मोटरसाइकिल चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.08.2023 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 220/23 धारा 379 भादवि की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 02 नफर अभियुक्तों प्रमोद व संजय पुत्रगण बाबूराम को घटना से संबंधित 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल (बजाज सीटी 100) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1-प्रमोद पुत्र बाबूराम नि0 सरसवापुरवा थाना व जनपद खीरी
2-संजय पुत्र बाबूराम नि0 सरसवापुरवा थाना व जनपद खीरी

<u>बरामदगी-</u>

01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल (बजाज सीटी 100, UP 31 BA 4642)
01 अदद मोबाइल (रियल मी)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह
2-हे0का0 शाहिद खांन
3-हे0का0 वीर सिंह
4-हे0का0 रविन्द्र सिंह
5-का0 सिद्धार्थ गौतम

<u>थाना फरधान पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर अभियुक्त देवीदयाल पुत्र स्व0 छोटन को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.08.2023 को थाना फरधान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त देवीदयाल पुत्र स्व0 छोटन को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बंध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 390/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभि0 को मा0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा जा रहा है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
देवीदयाल पुत्र स्व0 छोटन नि0 ग्राम ओदारा थाना मितौली जनपद खीरी

<u>बरामदगी-</u>
01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>
1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार तिवारी
2. हे0का0 विमल रावत

ए0एच0टी0यू0 खीरी द्वारा कवच योजना के तहत जनपद खीरी के थाना संपूर्णानगर क्षेत्र में मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति आदि की रोकथाम हेतु जनजागरूकता अभियान चलाया गया

आज दिनांक 26.08.2023 को जनपद खीरी के थाना संपूर्णानगर ग्राम खजुरिया में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी, श्री नैपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में ए0एच0टी0यू0 से प्रभारी निरीक्षक श्री जैनेन्द्र कुमार ,मुख्य आरक्षी राजेश कुमार , थाना संपूर्णनगर से उपनिरीक्षक आदित्य कुमार यादव, हेड कांस्टेबल बृजमोहन यादव, आरक्षी अक्षय चंद्रवंशी, , चाइल्डलाइन से श्री संतोष कुमार जिला समवंयक अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम सभा के सभी सम्मानित व्यक्तियों के साथ मानव तस्करी, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति ,बालविवाह के विषय मे चर्चा की गई एव उन्हें जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति” अभियान के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, जागरुकता एवं सामुदायिक पहुँच हेतु गोष्ठी का आयोजन

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद खीरी के समस्त थानों पर गठित एन्टीरोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/कस्बों/बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों/प्रमुख चौराहों/प्रमुख बाजारों/मन्दिर/शिवालयों/शापिंग मॉल आदि के आस-पास गश्त/चेकिंग करते हुए महिलाओं व बालिकाओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरुक किया जा रहा है तथा उनकी सुरक्षा के सम्बंध में वार्ता कर संदिग्धों की चेकिंग कर आवश्यक हिदायत जा रही है। साथ ही समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अन्तर्गत गांव, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थानों, मिशन शक्ति कक्ष पर बालिकाओं/महिलाओं की गोष्ठी करके उच्चाधिकारियों के नम्बर व नारी सुरक्षा/मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न हेल्प लाइन नम्बर वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेलपलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारें में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर बिना कारण घूमने वाले लड़कों/शोहदों की चेकिंग की जा रही है तथा शपथ पत्र भरवाये जा रहे हैं।

इसी क्रम में दिनांक 26.08.2023 को थाना मैलानी, थाना खमरिया, थाना हैदराबाद, थाना नीमगांव, थाना ईसानगर सहित विभिन्न थानों द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं की गोष्ठी करके उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्गत मिशन शक्ति अभियान से संबंधित आदेश-निर्देश से अवगत कराया गया तथा साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स एवं जरूरी सूचनाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जानकारियों सहित बुकलेट/पम्पलेट भी वितरित किया गया।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, 03 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 26.08.2023 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्तों 1.बाबूराम पुत्र मक्का सिंह 2.जमुना उर्फ लाला पुत्र कढिले गेड़िया 3.मन्ना पुत्र सियाराम निवासीगण ग्राम सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.बाबूराम पुत्र मक्का सिंह निवासी ग्राम सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही जनपद खीरी
2.जमुना उर्फ लाला पुत्र कढिले गेड़िया निवासी ग्राम सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही जनपद खीरी
3.मन्ना पुत्र सियाराम निवासी ग्राम सिंगहा खुर्द थाना सिंगाही जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.उ0नि0 तेज प्रताप सिंह थाना सिंगाही
2.हे0का0 कौशल सिंह थाना सिंगाही
3.हे0का0 रामभवन यादव थाना सिंगाही
4.का0 छत्रपाल सिंह थाना सिंगाही

‘‘आपरेशन कनविक्शन’

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र छविनाथ ग्राम सरैया विलियम के द्वारा वर्ष 2011 में उपरोक्त अभियुक्त के घर पर दविश के दौरान थाना मोहम्मदी पुलिस टीम पर फायर किया था जिसमें आरक्षी रामकुमार को गोली लगी थी। जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 25.08.2023 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मोहम्मदी जनपद खीरी द्वारा हत्या करने के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में 01 अभियुक्त को दण्डित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

- मु0अ0सं0 668/2011 धारा 307/504 भादवि थाना मोहम्मदी जनपद खीरी से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम सरैया विलियम थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मोहम्मदी जनपद खीरी द्वारा 05 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 06 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना खीरी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त राम खेलावन उर्फ टुन्नी को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त राम खेलावन उर्फ टुन्नी पुत्र रामसेवक नि0 ग्राम नौवापुर थाना व जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना खीरी पर मु0अ0सं0 382/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र रामदत्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र रामदत्त नि0 बेलाबोझी थाना नीमगाँव जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगाँव पर मु0अ0सं0 272/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा, जुआं खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1,200 रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगाँव पुलिस द्वारा 04 नफर अभियुक्तों को ताश के पत्तें व कुल 1,200 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना नीमगाँव पर मु0अ0सं0 273/23 धारा 13 जुआं अधि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।